न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 90/2011
आरसीएमएस नं0 2011/00050
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. राणी पुत्री मेजर सिह पत्नी श्री नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी हरनौली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कीकर सिंह
3. जलावर सिंह
4. सुखदेव सिह
5. गमदूर सिह

   पिसरान गंगासिह जाति जटसिख निवासी सरावांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. मीनो पुत्री गंगा सिह पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. गुड्डी पुत्री गंगासिह पत्नी अजमेर सिह जाति जटसिख निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. बलजीत कौर बेवा दर्शन सिह पुत्र गंगासिह जाति जटसिख निवासी सराववाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
9. रिछपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिह
10. किरणपाल कौर पुत्री दर्शन सिह

    नाबालिगान जरिये माता बलजीतकौर बेवा दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी सरावंवाला तहसील पीलीबंगा

–अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रसन्नकौर पत्नी गजन सिंह जाति जटसिख निवासी सरावंवाला तह0 पीलीबंगा।
2. जसवन्त सिह
3. बिकर सिह
4. दर्शन सिंह
5. लाल सिंह
6. भगवान सिंह

   पिसरान गजन सिंह अकवाम जटसिख साकिन सरावंवाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. रेशम सिह } पिसरान गजन सिंह अकवाम जटसिख साकिन
8. महेन्द्र सिह } सरावंवाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
9. गुरदेव कौर बेवा मेजन सिंह जाति जटसिख निवासी सरावंवाला तहसील पीलीबंगा
10. बलकरणसिह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी सरावंवाला तहसील पीलीबंगा
11. सिमरी पुत्री मेजर सिंह पत्नी बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
12. अको पुत्री मेजर सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा
13. गुरचरण सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति जटसिख निवासी सरावंवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2011

द्वारा सहायक कलक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 65/2008 बअनवानी प्रसन्न कौर बनाम मेजर सिंह आदि

श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः– 19.07.2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश, जिसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेण्टान व अपीलाण्टान के पिता क्रमशः गजन सिह व गंगासिह से भाई थे। जिनकी चक नम्बर 7 एलजीडबल्यू बी व चक नम्बर 9 एलजीडबल्यू में कुछ विरासतन व कुछ खरीदशुदा रक्बा था। दोनों चको की कृषि भूमि संयुक्त सम्पति थी जो आधी आधी खरीद की गई थी। दिनांक 11.02.1991 को दोनों भाईयों के मध्य बंटवारा की लिखित भी की गई है। चक नं. 13 पी.बीएन. के प. नं. 33/306 मुरब्बा नम्बर 8 किला नंबर 1 ता 4, 10 की 1.265 है0 यानि 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बीघाभूमि गंगासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण 1 ता 8 का 1/2 हिस्सा है जिस पर वे काबिज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त में मदाखलत न करने एवं भूमि को रहन बैय ना करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि प्रश्गनत भूमि अप्रार्थीगण के पिता द्वारा राज्य सरकार से खरीद की गइ थी वह उसकी स्वअर्जित सम्पति थी । इसलिए यह संयुक्त परिवार की सम्पति नही है। सन 1992 को जो बंटवारा बताया गया है वह कभी नहीं हुआ यदि हुआ होता तो उस कृषि भूमि को बंटवारा के समय शामिल करते हुए विभाजन करवाया जाता। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेसपोडेण्ट संख्या 1 ता 8 ने अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय प्राप्त करते हुए वादग्रस्त भूमि में से ढाई बीघा पर कब्जा कर लिया जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने उलटा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 के पक्ष में मजबूत मानते हुए स्वीकार किया है। अपीलाण्ट एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जबकि रेस्पोडेण्ट ट्रैसपासर की श्रेणी में आते हैं। इस न्यायालय से जारी स्थगन आदेश की आड. में यदि कब्जा प्रार्थीगण के द्वारा किया जाता तो अवश्य ही अप्रार्थीगण सक्षम न्यायाल में अथवा थाने में कार्यवाही करते जबकि ऐसा नही किया गया है। वादग्रस्त कुलहम 5 बीघा पर अपीलाण्ट की कब्जा काश्त चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायाल ने अपीलाण्ट को इस आधार पर रिकार्डेड टिनेन्ट मानने से इनकार किया है कि उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त अभी उनके नाम वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। जबकि रिकार्डेड टिनेन्ट उसके वारिस ही माने जायेगे। हिन्दू ला बाई मुल्ला के अनुसार अधिकार विहित होने की प्रक्रिया क्षण भर के लिए भी नहीं रूक सकती मृत्यु के तुरन्त बाद ही वारीसान में ओद हो जाती है। विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्तों का कही भी विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (16) 2009 पेज 714, आरआरटी 2019 (1) पेज 2 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्य 1 ता 8 ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनां चको की कृषि भूमि संयुक्त सम्पति थी जो आधी आधी खरीद की गई थी। दिनांक 11.02.1991 को दोनों भाईयों के मध्य बंटवारा की लिखित भी की गई है। चक नं. 13 पी.बीएन. के प. नं. 33/306 मुरब्बा नम्बर 8 किला नं.बर 1 ता 4, 10 की 1.265 है0 यानि 5 बीघा भूमि गंगासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण 1 ता 8 का 1/2 हिस्सा है जिस पर वे काबिज है। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेण्टान संख्या 1 ता 8 द्वारा दावा कर अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीयरूप से प्राप्त करते हुए वादग्रस्त भूमि में से ढाई बीघा पर कब्जा कर लिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 का पक्ष मजबूत मानते हुए स्वीकार किया है जबकि अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त एक खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लेने से प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है अथवा अपीलाण्ट के पक्ष में इस बिन्दू पर विस्तृत विवेचन कर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को इस आधार पर रिकार्डेड टिनेन्ट मानने से इनकार किया है कि उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त अभी उनके नाम वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। जबकि रिकार्डेड टिनेन्ट उसके वारिस ही माने जायेगे। हिन्दू ला बाई मुल्ला के अनुसार अधिकार विहित होने की प्रक्रिया क्षण भर के लिए भी नहीं रूक सकती मृत्यु के तुरन्त बाद ही वारीसान में ओद हो जाती है। विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्तों का कही भी विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पीलीबंगा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़